तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/2/26	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू0राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी संकल्प प्रताप सिंह पुत्र विशाल प्रताप सिंह एवं अन्य सह खातेदार की ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खाता सं0 नया 150 पुराना 149 खसरा नं0 113 रकबा 0.68 है0 एवं खाता संख्या नया 113 पुराना 116 खसरा नं0 113/1 रकबा 0.56 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी नं0 1 की खातेदारी में ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खाता सं0 नया 180 पुराना 176 खसरा नं0 113/2 रकबा 0.28 हैक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि ख0नं0 113 रकबा 1.52 है0 भूमि के खातेदार शफीक अहमद जी थे। जिन्होने पूर्व में ख0नं0 113 की 0.96 है0 पूर्वी दिशा की भूमि का बेचान सरोज सिंह पत्नि श्री रविन्द्र प्रताप सिंह को किया गया। तथा खसरा नं0 113 की शेष 0.56 है0 पश्चिम दिशा की भूमि का बैचान रविन्द्र प्रताप सिंह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.11.2002 से किया गया तथा नामा0 सं0 294 न्यायालय आदेश दिनांक 23.03.2005 से खसरा नं0 113 की खातेदारी सरोज सिंह की 0.28 है0 भूमि 90 बी के तहत नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज हुई। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी के नाम इंतकाल तस्दीक किया जिसके आधार पर प्रतिपक्षी नं0 2 के कर्मचारियों ने प्रार्थी की खरीद शुदा भूमि का नये खसरा नं0 113/1 की 0.56 है0 भूमि प्रार्थी के नाम खाते दर्ज की गयी। किन्तु राजस्व रिकार्ड के नक्शे ट्रेस में प्रार्थी के खाते की पश्चिम दिशा की भूमि को पूर्वी दिशा में अंकित कर दिया है तथा की प्रतिपक्षी नं0 1 की मध्य की भूमि को पूर्वी दिशा में दिखा रखी है जो गलत है। क्योंकि प्रार्थी एवं सह खातेदार पूर्वी एवं पश्चिम दिशा की भूमि पर काबिज है इस कारण नक्शा ट्रेस में मौका स्थिति के अनुसार अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम नयानोहरा तह0 लाडपुरा की ख0नं0 113, 113/1, 113/2 को नक्शा ट्रेस में मौका स्थिति अनुसार दुरूस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जावे। भूमि के रकबे व सीमा का कोई विवाद नहीं है। अन्य सहायता हो वह भी प्रार्थी को प्रदान की जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि मुताबिक नक्शा लटठा खसरा नं0 113/1 रकबा 0.56 है0 भूमि जिसकी दिशा पश्चिमी दर्ज थी की तरमीम पूर्वी दिशा में एवं खसरा नं0 113 रकबा 0.68 है0 जिसकी दिशा खसरा नं0 113/2 रकबा 0.28 है0 सहित पूर्वी दर्ज थी, की तरमीम पश्चिम दिशा में हो रखी है तथा मुताबिक संलग्न लेयआउॅट प्लान नगर विकास न्यास कोटा के अनुसार 0.28 है0 भूमि जो 90 बी की गयी की तरमीम भी लेयआउॅट अनुसार नहीं की हुई है। मुताबिक नक्शा लटठा उपरोक्त आराजी का मौका देखा गया। मौके पर सम्पूर्ण खसरे 113, 113/1, 113/2 में गेहूँ की फसल है तथा वर्तमान में खातेदार का ही कब्जा काश्त है। एवं खसरा नं0 113/1 व 113/2 के बीचो बीच स्कूल बिल्डिग बनी हुई है जो लगभग 0.28 है0 में निर्मित है। तथा वर्तमान में स्कूल संचालित नहीं है। बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा नामान्तरण प्रतिलिपि, नजरी नक्शा, विक्रय पत्र एवं अन्य संलग्न दस्तावेज पत्र की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है	उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जरिये हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि राजस्व नक्शे में खसरा नं0 113/1 रकबा 0.56 है0 भूमि जिसकी दिशा पश्चिमी दर्ज थी की तरमीम पूर्वी दिशा में एवं खसरा नं0 113 रकबा 0.68 है0 जिसकी दिशा खसरा नं0 113/2 रकबा 0.28 है0 सहित पूर्वी दर्ज थी की तरमीम पश्चिम दिशा में हो रखी जो सही किया जाना उचित है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम नयानोहरा पटवार हल्का नयानोहरा जिला कोटा में स्थित भूमि खसरा संख्या 113, 113/1, 113/2 को नक्शा ट्रेस में तहसील रिपोर्ट एवं मौका स्थिति अनुसार दुरूस्त किये जाने आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 18/2/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★	